

महामारी रेड अलर्ट

जन अनुशासन पखवाड़ा

(3 मई 2021-17 मई 2021)

नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु



-  3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक **महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा** रहेगा
-  शुक्रवार **7 मई** दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार **14 मई** दोपहर 12 बजे से **17 मई** प्रातः 5 बजे तक **महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफर्यू** रहेगा
-  सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर **12 बजे** से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में **महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफर्यू** रहेगा
-  कफर्यू के दौरान **अनुमत श्रेणी** के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के **घूमता हुआ** पाया गया, तो उसे **संस्थागत व्हारेंटीन** कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी **आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव** नहीं आ जाती
-  भीड़-भाड़ से बचने के लिये बाजारों में खरीददारी के दौरान **दुपहिया एवं चौपहिया** वाहनों का प्रयोग नहीं कर **पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन** का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है
-  हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ **अन्य किसी व्यक्ति** के न जाने तथा विशेष परिस्थितियों में **केवल एक ही व्यक्ति** को अनुमत किये जाने के निर्देश
-  सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों को गाइडलाइंस का पालन करते हुए अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन अपनाने के निर्देश
-  सभी **खेल मैदान** एवं **सार्वजनिक उद्यान** अब **प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे** तक खोलने की अनुमति होगी

महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा

(3 मई 2021-17 मई 2021)



विवाह समारोहों के लिये दिशा-निर्देश

 विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में **अधिकतम 3 घंटे** तक आयोजित किया जा सकेगा।

 विवाह समारोह के संबंध में **दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना** उपर्युक्त मजिस्ट्रेट को ई-मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की **सूची** भी अनिवार्य रूप से देनी होगी, इस **सूची** के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।

 बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर **5 हजार रुपए** तथा **31 से अधिक व्यक्ति** होने पर एक लाख रुपए का **जुर्माना** लगाया जाएगा।

 संक्रमण पर रोक लगाने के लिये **महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा** के दौरान शादी-समारोह का **आयोजन स्थगित** कर इन्हें बाद में आयोजित करने का परामर्श भी दिया गया है।

महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा

(3 मई 2021-17 मई 2021)

बाजार एवं व्यापारियों के लिये दिशा-निर्देश



 सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चवकी, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी

 ५०० ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी

 ठेले, साइकिल, रिक्षा, ऑटो रिक्षा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा

 राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी

 प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी

 निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी

 कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी

 मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी

 डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी

 फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी

समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके